

सं.आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष/पदोन्नति/एओ/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-1100029

दिनांक 21 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नियमित आधार पर प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति - के संबंध में।

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 10 (₹56,100-1,77,500) में प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थान/केन्द्र का नाम	टिप्पणी
1.	श्री हेमंत कुमार (एससी) Shri. Hemant kumar (SC)	एनआईएमआर, द्वारका	गुणवत्ता के आधार पर
2.	श्री विश्वनाथ बसेरा (एसटी) Shri. VishwaNath Basera (ST)	एनआईआरबी, कोलकाता	गुणवत्ता के आधार पर
3.	श्री एस. ई. मटकर Shri. S. E. Matkar	एनआईवी, पुणे	----
4.	श्रीमती एस. एस. पाठक Smt. S. S. Pathak	एनआईवी, पुणे	----
5.	श्रीमती एम.एन. राधा Smt. M.N. Radha	एनसीडीआईआर, बेंगलूरु	----
6.	श्रीमती सुनीता एच केरकेटा (एसटी) Smt. Sunita H Kerketa (ST)	एनआईओएच, अहमदाबाद	गुणवत्ता के आधार पर
7.	श्री एस.एन.बाबू (एसटी) Shri. S. N. Babu (ST)	आरएमआरसी, डिब्रूगढ़	गुणवत्ता के आधार पर
8.	श्री अनिल डी परदेशी Shri Anil D Pardeshi	एनआईटीवीएआर, पुणे	----
9.	श्रीमती वंदना कालिया Smt. Vandana Kalia	परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली	----
10.	श्री जीवन सिंह Shri. Jiwan Singh	परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली	----
11.	श्री जग जीवन राम Shri. Jag Jeevan Ram	आरएमआरसी, श्री विजया पुरम	----
12.	श्री महिंदर सिंह रावत Shri. Mahinder Singh Rawat	परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली	----

2. उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण/तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
3. उक्त सभी को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दें तथा इस आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे पदोन्नत पद ग्रहण करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रशासन अधिकारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे तथा परिषद के नियमों के अनुसार उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी।
5. उनका वेतन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।
6. उक्त सभी पदोन्नत अधिकारियों को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्व के पद या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।
7. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं, तो वे तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर सहमत नहीं हो जाते।
8. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।
9. उपरोक्त पदोन्नति माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष श्रीमती हरजीत कौर बजाज बनाम आईसीएमआर द्वारा दायर ओए संख्या 1669/2023 के अंतिम परिणाम और एनसीएससी द्वारा आरक्षण रोस्टर की समीक्षा और किसी अन्य न्यायालयी मामले के लंबित निर्णय, यदि कोई हुए, तो, के अधीन हैं।

10. वे परिषद के अधीन सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों द्वारा शासित होंगे तथा परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभ उन्हें मिलते रहेंगे।

(रीमा शर्मा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

समस्त संबंधित अधिकारी (12)

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. **संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक** - इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार संभालने/पदोन्नति से इनकार करने, यदि कोई हो, तो स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से admin1.hq@icmr.gov.in तुरंत भेजा जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त), परिषद मुख्यालय
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी /बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
5. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा -I/VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
8. सहायक निदेशक(राजभाषा), परिषद मुख्यालय - इस कार्यालय आदेश का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाएं।
9. बजट/गार्ड फ़ाइल/वेतन वृद्धि/वरिष्ठता फ़ाइल।